

25/8/24

25/8/24

माननीय श्री. वल्लभाजी सिंह, पूर्व राजपाल के निवेदन  
श्री. प्रदीप कुमार चौधरी, जैन पत्रकारों की भाग  
श्री. प्रदीप कुमार चौधरी, पत्रकारों, पत्रकारों के प्रति  
श्री. प्रदीप कुमार चौधरी, पत्रकारों के प्रति

25/8/24

किसी भी प्रकार के अश्लील व अशुभ  
वार्ता से बचना है। पत्रकारों के अधिकारों को सुरक्षित  
रखना है। दिनांक 26/8/24 को पत्रकारों को

26/8/2024


अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी श्री. प्रदीप कुमार  
कोडिया 9 मूल 13 संपत्ति द्वारा 151 एपिस पर 06.09.2024  
गर्दी पञ्जावली वास्ते कोडिया सिगान 06.09.2024  
को फेरा है।

06.09.2024

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी  
बहस में कथन किया कि विवाहित भूखण्ड में मातृपीप  
कारिष्ठ सिविल न्यायाधीश साइलेशहर जिस भूखण्ड के  
सम्बन्ध में निगरानी फेरा की है का निर्माण प्रार्थी के  
पक्ष में करते हुए स्वयं कोडिया जारी किया गया है  
एवं मूल डाका पिचाराधीन है निगरानी अमरन 12/2015  
सुप्रीम कोर्ट के नाम ग्राम पंचायत व अन्य प्रार्थी से  
सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक पक्षीय निर्णय  
दिया गया। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर  
निर्णय कारित किया जाना चाहिए था क्योंकि प्रार्थी  
एक प्रमाणित पत्रकार है।

P.T.O.

वहस पर मग्न किया एवं पञ्जावली में उपलब्ध  
इस्तेजात का गहनता से अन्वेषण किया गया। निम्न  
पुस्तक 12/2019 सुबे उम्मा कौश बनाम ग्राम पेचापत  
कन्य में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 में प्राची  
प्रमाणित पत्रका है। अर्थात् निर्णय पारित करते समय  
प्राची को अनुपस्थित मानकर निर्णय पारित किया गया  
फालस्वरूप प्राची द्वारा इस्तेजात प्रत्येक पत्र आदेश व  
कुल 13 सपॉलिट द्वारा 15। एपे स्वीकार किया जाता है  
तथा विगरानी 12/2019 में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021  
कैपास्ट किया जाकर विगरानी पुनः वाजबा नम्बर पर  
ईज रजिस्ट्रर किये जाने के आदेश किये जाते हैं पञ्जावली  
वाले तलबी दिनांक 22.09.2021 को पत्रका है।

  
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर